



क्रमांक: एफ 8 (शैक्षणिक भ्रमण) अकाद/आकाशि/2022-02410/

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय:- विद्यार्थियों को प्राधिकरण द्वारा निर्मित पेनोरमाओं/स्मारकों/संग्रहालयों की नियमित यात्रा करवाये जाने बाबत।

संदर्भ:- 1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग का पत्र क्रमांक प.10(9)शिक्षा/ग्रुप-3/2021-01547 राजकाज क्रमांक 12207194 दिनांक 04.12.2024।
2. अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण का पत्र क्रमांक एफ.760/1075 दिनांक 28.11.2024।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा लोक देवी-देवताओं, संत-महात्माओं, योद्धाओं एवं स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत की आकर्षक प्रस्तुति हेतु प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों में पेनोरमा/स्मारकों/संग्रहालयों का निर्माण करवाया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2024 को पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश प्रदान किये गये हैं कि "विद्यार्थियों को उक्त पेनोरमा/स्मारकों/संग्रहालयों की नियमित यात्राएं करवाई जाएं।"

उक्त निर्देशों की पालना में समस्त राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से इन पेनोरमाओं/स्मारकों/संग्रहालयों की यात्रा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

(प्रो. विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

Signature valid

Digitally signed by Vija Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.12.12 17:36:12 IST
Reason: Approved

